UPBP010012332026

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम/ अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर।**

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(कम्प्यूटर)–523/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या(रजिस्टर)–369/2026

**सलाहुद्दीन** पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खपरैला, पिपरा रामचन्दर थाना कोतवाली उतरौला जिला बलरामपुर।

**.....प्रार्थी/अभियुक्त**

**बनाम**

उत्तर प्रदेश सरकार

**.....विपक्षी**

मुकदमा अपराध सं–23/2020
धारा–323,504,506,308 भा.दं.सं.
थाना–कोतवाली उतरौला,
जनपद–बलरामपुर।

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सलाहुद्दीन** पुत्र रियाजुद्दीन निवासी ग्राम खपरैला पिपरा रामचन्दर थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर की ओर से मुकदमा अपराध सं०–23/2020 धारा–308, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना–कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र गया प्रसाद ग्राम परसपुर थाना कोतवाली उतरौला जनपद, बलरामपुर का निवासी है। प्रार्थी आज दिनांक 19.01.2020 को समय करीब 09.00 बजे सुबह ग्राम खपरैला मे धान कुटाने राईस मील पर गया था वहाँ पर प्रतिवादीगण समसुद्दीन पुत्र ननकऊ और सलाउद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन व समसुद्दीन की पत्नी निवासीगण खपरैला थाना कोतवाली उतरौला जनपद बलरामपुर अकारण मुझे गाली गुप्ता देने लगे मैने मना किया तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी डन्डा व गैडासा से मारने लगे, जिससे प्रार्थी को काफी चोट ने के कारण प्रार्थी मौके पर बेहोश हो गया। होश आने पर प्रार्थी सूचना को आया है। घटना को मौके पर तमाम लोगो ने देखा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। जिस पर प्रश्नगत मुकदमा पंजीकृत हुआ ।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह **प्रथम अग्रिम जमानत** प्रार्थना पत्र है, इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही

विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत का आधार लिया गया है कि यह कि उक्त मामला धारा 482 बी०एन०एस०एस० के प्रतिबन्धित करने वाले धाराओं में नहीं आता है। इस पर अग्रिम जमानत दिया जा सकता है। इस कारण यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है। प्रार्थी ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये अपने बचाव हेतु माननीय न्यायालय में अपनी जमानत प्रार्थना पत्र धारा 482 बी०एन०एस०एस० के तहत प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी के ऊपर लगाये गये समस्त आरोप धारा 482 बी एन०एस०एस की धारा 65 या 70 की उपधारा 2 से आच्छादित नहीं हैं। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है प्रार्थी को महज हैरान व परेशान करने के लिये अभियुक्त बना दिया गया है प्रार्थी का उपरोक्त घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है न ही किसी ने घटना कारित करते देखा है। प्रार्थी घटना के समय मौजूद नहीं था फिर भी वादी मुकदमा द्वारा अकारण प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करा दिया। प्रार्थी ने दौरान विवेचना, विवेचना में पूर्ण सहयोग किया है। विवेचना से कभी फरार नहीं हुआ है। प्रार्थी मेहनत मजदूरी के सिलसिले में वर्ष 2022 में सऊदी अरब चला गया था जिस कारण प्रार्थी को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हो सका न ही प्रार्थी के घर वाले सम्मन के बारे में कोई जानकारी दिया। प्रार्थी लगभग 3 वर्ष बाद सऊदी अरब से अपने घर आया और कुछ दिन रहकर पुनः मेहनत मजदूरी के लिये सऊदी अरब चला गया। इस दौरान भी प्रार्थी को मुकदमें के लम्बित होने व कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी। अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को जब धारा 82 सीआर०पी०सी० की कार्यवाही की गयी और घर पर नोटिस चस्पा हुआ तब प्रार्थी को जानकारी हुआ कि प्रार्थी के विरूद्ध वारन्ट हो गया है और मुकदमा लम्बित है। दिनांक 07.04.2026 को प्रार्थी के विरूद्ध जब धारा 83 सीआर०पी०सी० के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही प्रारम्भ हुई तब प्रार्थी तत्काल प्रभाव से सऊदी अरब से दिनांक 20.04.2026 को अपने वतन वापस आया और जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने जानबूझ कर कोई गलती नहीं की है जब प्रार्थी को दिनांक 07.04.2026 के कार्यवाही के बारे में जानकारी हुई तब प्रार्थी ने छुट्टी के लिये आवेदन किया किसी तरह प्रार्थी को छुट्टी मिला और वापस आया। प्रार्थी ने वादी मुकदमा के ऊपर प्राण घातक हमला नहीं किया है न ही गाली दिया है न ही जान से मारने की धमकी दी है, न ही प्रार्थी के मारने से वादी मुकदमा को कोई चोटें आयी हैं। वादी मुकदमा को जो भी चोटें आयी हैं वह चिकित्सीय परीक्षण के अनुसार सामान्य चोटें हैं जिस पर धारा 308 आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनता है फिर भी पुलिस वाले वादी मुकदमा को बेजा लाभदेने के लिये धारा 308 आई०पी०सी० में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। वादी मुकदमा द्वारा सोंच समझकर प्रार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कराया गया, जिससे कि प्रार्थी का भविष्य खराब हो जाये और मेहनत मजदूरी के लिये वह बाहर न जा सके। प्रार्थी को पुलिस पकड़ कर नाजायज अभिरक्षा में लेकर बेइज़्ज़त करना चाहती है जिससे प्रार्थी भयभीत हैं तथा प्रार्थी के पास अग्रिम जमानत के अतिरिक्त जेल जाने से बचने के लिये कोई अन्य तरीका नहीं है। इस कारण प्रार्थी अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रार्थी पर अधिरोपित अपराध अग्रिम जमानत पाने की श्रेणी में आता है। थाना हाजा की पुलिस द्वारा प्रार्थी पर गिरफ्तारी के लिये दबाव बना रही है और प्रार्थी को तलाश रही है । प्रार्थी के घर व रिश्तेदारों के यहां दबिश देकर प्रार्थी को पुलिस वाले बेजा हिरासत में लेना चाहते हैं तथा गिरफ्तारी का भय बना हुआ है, तथा प्रार्थी के गिरफ्तारी की प्रबल संभावना है जिसके सापेक्ष मे प्रार्थी अपनी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी को अग्रिम जमानत दिये जाने के बाद प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगें। वादी मुकदमा और गवाहान के सम्पर्क में नहीं आयेगा तथा गवाहों पर बेजा दबाव नहीं डालेगा तथा विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। माननीय न्यायालय जो भी आदेश व निर्देश दिया जायेगा उसका प्रार्थी पालन करेंगा। उपरोक्त कथनों के आधार पर प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi vs State of UP And Another निर्णय दिनांकित 12.08.2025** के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि यदि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा न चाही गयी हो या अभियुक्त को Protective Order प्राप्त हुआ हो और अभियुक्त द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया हो तो विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित नही किया जायेगा और प्रस्तुत अभियोग में विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी नही की गयी और विवेचना के दौरान अभियुक्त से पूछताछ के लिए उसकी अभिरक्षा (Custodial interogation) भी विवेचक द्वारा नही चाही गयी है और प्रार्थी/अभियुक्त ने दौरान विवेचना विवेचना में सहयोग किया है और विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित हो चुका है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत अभियोग अधिकतम सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है । सउदी अरब में रहने के कारण उस पर न्यायालय द्वारा जारी आदेशिकाओं का तामीला न होने व परिवार के सदस्यों द्वारा आदेशिकाओं की जानकारी न दिए जाने के कारण उसे सम्बन्धित आरोपपत्र के न्यायालय में प्रेषित किए जाने की जानकारी नहीं हो पायी और जानकारी होने के उपरान्त उसकी ओर से बिना अनुचित विलम्ब किए यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभुिक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवदेक/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को आरोपपत्र की जानकारी हो चुकी थी परन्तु उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में सहयोग नहीं किया गया और धारा-83 दं०प्र०सं० की कार्यवाही होने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । अपराध के गम्भीर व अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र के निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा-308, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता विवेचक द्वारा प्रस्तुत किया गया जो सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व दोषसिद्धि का कोई आपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः मामले के समग्र तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति व सम्मानित विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi vs State of UP And Another निर्णय दिनांकित 12.08.2025** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Satendra Kumar Antil Vs C.B.I. & ors. (2021) 10 SCC 773** में स्थापित विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त/प्रार्थी सलाहुद्दीन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है । मुकदमा अपराध सं.23/2020 धारा–308, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता थाना–कोतवाली उतरौला, जनपद–बलरामपुर के मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की दशा में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु०-50,000/- रूपये का व्यक्तिबंधपत्र तथा इसी धनराशि की दो सक्षम प्रतिभू प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित की सन्तुष्टि पर निम्न शर्तो के अधीन उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए-

1. प्रार्थी/अभियुक्त मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा ।

2. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा ।

3. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा ।

4. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर छूटने के उपरान्त किसी अपराध में लिप्त नही होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांकः02.06.2026

(अवधेश कुमार, II)
जे0 ओ 0 कोड- यू0 पी0-2708
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर ।

Digitally signed by AWADHESH KUMAR
Date: 2026.06.02 16:02:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court